

21-12-20

अपीलान्ट उपस्थित नहीं। पेंसेकार सरकार उपर
लोक सूचना अधिकारी एवं जति. जिला कलक्टर धौल
के पत्र क्रमांक सुगम। सूचना अधि। 2020। 4794 दि
2-12-2020 के जरिये टिप्पणी प्राप्त हुई है। लोक
सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया
है कि अपीलार्थी श्री गोपाराम अग्रवाल द्वारा सूचना
का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत याच
की सूचना पत्र क्रमांक 4781 दिनांक 27-11-2020
के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र अपीलार्थी को भिजवा
दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न की है।

इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना जरिये रजिस्टर्ड
पत्र भिजवा दी गई है। अतः प्रकरण में जागे कार्यवाही
किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील,
अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती
है। लोक सूचना अधिकारी एवं जति. जिला कलक्टर
धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को
भेजी जाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम की जाकर बाउ तकमील शरियत रफतार
है।

(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर